यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रीती मीना, आर.ए.एस.)

करण संख्याः– 688 / 2025

यर दिनांकः– 03.12.2025

उनवान

छीतर बनाम तहसीलदार निवाई

र्थी की और से :– रामजीलाल जाट

प्रार्थी की और से :–पैरोकार सरकार

प्रार्थना बावत– अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि –1956

निर्णय

दिनांक 10/2/2026

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्र.पत्र नव राज्य पत्र अर्न्तगत ारा–128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा म्बर 537 / 1 रकबा 1.3152 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 / 2 रकबा 0.6323 हैक्टेयर वाके ग्राम हलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित ाराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की थरगढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की गई, अप्रार्थी की और से रोकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की वहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा –128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 537 / 1 रकबा 1.3152 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 / 2 रकबा 0.6323 हैक्टेयर वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी / भू. अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक 10/2/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (प्रीती मीना) निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक